भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2577**

**05.08.2025 को उत्तर के लिए नियत**

**इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना**

2577. **श्री बिप्लब कुमार देब:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की योजना ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ई-वाहनों तक पहुँच और उनकी सुलभता को किस प्रकार सुनिश्चित करेगी;

(ख) उक्त योजना से टियर-2 और टियर-3 शहरों में सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना में सुधार लाने में किस प्रकार योगदान मिलने की संभावना है;

(ग) क्या त्रिपुरा राज्य के विशेष संदर्भ में, ईवी आपूर्ति श्रृंखलाओं में स्टार्टअप और एमएसएमई को शामिल करने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग राज्य मंत्री**

**(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)**

**(क):** भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू की हैं:-

i. भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण करने की स्कीम चरण-II (फेम-II) को अखिल भारतीय स्तर पर ई-दुपहिया, ई-तिपहिया और ई-चौपहिया के खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए 11,500 करोड़ रुपये के कुल बजटीय समर्थन के साथ 01.04.2019 से 31.03.2024 तक लागू किया गया। मांग प्रोत्साहन मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) द्वारा खरीदारों को ईवी की खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में प्रदान किया गया था, जिसका दावा बाद में भारी उद्योग मंत्रालय से किया गया है।

ii. ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक और ई-एम्बुलेंस के लिए मांग प्रोत्साहन का समर्थन करने हेतु 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्युशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम को 29.09.2024 को अधिसूचित किया गया था। ईएमपीएस 2024, जिसने 01.04.2024 से 30.09.2024 तक ई-दुपहिया और ई-तिपहिया के लिए मांग प्रोत्साहन प्रदान किया था, को पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

फेम-II के समान, मूल उपकरण निर्माता द्वारा खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में मांग प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, जिसका दावा बाद में भारी उद्योग मंत्रालय से किया जाता है।

**(ख):** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने 16 अगस्त, 2023 को "पीएम-ई-बस सेवा स्कीम" नामक एक केंद्र प्रायोजित स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ शहरी क्षेत्रों में सिटी बस संचालन को बढ़ाना है। स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, 3-40 लाख की आबादी वाले शहर और 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से कम आबादी वाले अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियाँ इस स्कीम में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, बस के आकार के आधार पर, 10 वर्षों तक प्रति किलोमीटर बस संचालन पर केंद्रीय सहायता स्वीकार्य है: मानक बसों (12 मीटर) के लिए 24 रुपये, मिडी बसों (9 मीटर) के लिए 22 रुपये और मिनी बसों (7 मीटर) के लिए 20 रुपये। इसके अतिरिक्त, बिहाइंड-द-मीटर-विद्युत अवसंरचना के विकास के लिए 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है। डिपो के नागरिक बुनियादी ढांचे के लिए भी निम्नलिखित तरीके से केंद्रीय सहायता दी जाती है:

i. राज्यों के शहरों के लिए 60%,

ii. पहाड़ी राज्यों/पूर्वोत्तर राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों को 90% केंद्रीय सहायता; और

iii. विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानी शहरों को 100% केंद्रीय सहायता।

इस स्कीम के अंतर्गत 10,000 ई-बसों में से अब तक 14 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों को 7,293 ई-बसें स्वीकृत की गई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्वीकृत बसों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** के रुप में संलग्न है।

अब तक, 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 85 सिविल डिपो परियोजनाओं और 88 बिहाइंड-द-मीटर-पावर इंफ्रा परियोजनाओं के लिए 1,062.74 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस स्वीकृत राशि में से, कुल 475.44 करोड़ रुपये 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबद्ध अवसंरचना अर्थात बिहाइंड-द-मीटर-पावर और सिविल डिपो अवसंरचना के विकास के लिए जारी किए गए हैं। जारी की गई धनराशि का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

**(ग) और (घ):** पीएम ई-ड्राइव स्कीम चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के अनुपालन को अनिवार्य बनाती है, जिसके तहत ईवी घटकों के प्रगतिशील स्थानीयकरण की आवश्यकता होती है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ ईवी और इसके घटकों की आपूर्ति श्रृंखला के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है। त्रिपुरा राज्य सहित स्टार्टअप्स और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को इस स्कीम से अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो सकता है, क्योंकि पीएमपी में घटकों को स्थानीय स्तर पर प्राप्त करने को अधिदेशित किया गया है।

******

अनुलग्नक-I

पीएम-ई-बस सेवा स्कीम के तहत स्वीकृत ई-बसें (**31.07.2025** तक)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्वीकृत बसों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | चंडीगढ़ | 100 |
| 2. | गुजरात | 450 |
| 3. | हरियाणा | 450 |
| 4. | जम्मू और कश्मीर | 200 |
| 5. | महाराष्ट्र | 1,559 |
| 6. | ओडिशा | 400 |
| 7. | पंजाब | 347 |
| 8. | मेघालय | 50 |
| 9. | बिहार | 400 |
| 10. | पुदुचेरी | 75 |
| 11. | असम | 100 |
| 12. | लद्दाख | 15 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 582 |
| 14. | राजस्थान | 675 |
| 15. | छत्तीसगढ | 240 |
| 16. | उत्तराखंड | 150 |
| 17. | आंध्र प्रदेश | 750 |
| 18. | कर्नाटक | 750 |
| | **कुल** | **7,293** |

अनुलग्नक-II

पीएम-ई-बस सेवा स्कीम के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी धनराशि

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)** |
|---|---|---|
| 1. | महाराष्ट्र | 200.18 |
| 2. | छत्तीसगढ | 30.19 |
| 3. | राजस्थान | 44.46 |
| 4. | चंडीगढ़ | 11.87 |
| 5. | असम | 6.47 |
| 6. | ओडिशा | 47.72 |
| 7. | गुजरात | 28.94 |
| 8. | बिहार | 87.55 |
| 9. | पंजाब | 18.06 |
| | **कुल** | **475.44** |